न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 122 / 2022

प्रार्थी	वनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर।		1. वसन्तीदेवी पत्नी जेठानन्द जाति जटिया निवासी कॉ–ओपरेटिव सोसायटी के पास चौहटन रोड जटियों का पुराना वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर। 2. रूपाराम सारण पुत्र मेहराराम सारण जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर। 3. ओमप्रकाश पुत्र भाणाराम जाति जटिया निवासी जटियों का नया वास कैलाश इन्टरनेशनल होटल के पीछे बाडमेर। 4. मेहराराम सारण पुत्र नरसिंगाराम सारण व रूपाराम पुत्र मेहराराम जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाडमेर। 5. मीरादेवी पत्नी मेहराराम जाति जाट निवासी हुडों का तला तहसील चौहटन। 6. लच्छुदेवी पत्नी रूखमणाराम जाति जाट निवासी खेराज का तला नेतराड तहसील चौहटन।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 175 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 पैरोकार सरकार।
2 श्री सुनिल मेराज, वकील अप्रार्थी संख्या 01।
2 श्री विष्णु चौधरी, वकील अप्रार्थी 02 व 03।

आदेश

दिनांकः 12/01/23

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 2605 / 2321 रकबा 04.11 बीघा भूमि में अप्रार्थी बसन्तीदेवी पत्नी जेठानन्द जाति जटिया निवासी कॉ–ओपरेटिव सोसायटी के पास चौहटन रोड जटियों का पुराना वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर ने सर्व प्रथम जरिये ईकरानामा बेचान रूपाराम सारण पुत्र मेहराराम सारण जाति जाट निवासी बलदेव नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर तथा ओमप्रकाश पुत्र भाणाराम जाति जटिया निवासी जटियों का नया वास कैलाश इन्टरनेशनल होटल के पीछे बाडमेर, इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण खसरे का बेचान बसन्तीदेवी ने कर दिया तथा ओमप्रकाश पुत्र भाणाराम जाति जटिया निवासी जटियों का नया वास कैलाश इन्टरनेशनल होटल के पीछे बाडमेर ने जरिये इकरारनामा मेहराराम सारण पुत्र नरसिंगाराम सारण व रूपाराम पुत्र मेहराराम जाति जाट निवांसी बलदेव नगर बाडमेर व मीरादेवी पत्नी मेहराराम जाति जाट निवासी हुडों का तला तहसील चौहटन तथा लच्छुदेवी पत्नी रूखमणाराम जाति जाट निवासी खेराज का तला नेतराड तहसील चौहटन को बेचान कर दिया है। वर्तमान में सम्पूर्ण रकबा बसन्तीदेवी पत्नी जेठानन्द जाति जटिया निवासी बाडमेर खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण रकबे पर 2016 में मौके पर कब्जा कर दिया था। मौके पर चारदीवारी व कमरा मय बिजली कनेक्शन लेकर मौके पर काबिज है, जो कृषि भूमि है जिसे कृषि भूमि से अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग कर अवैध रूप से अन्तरण कर उप–पट्टे पर देने के कारण बेदखली करने हेतु निवेदन किया है,

सहायक कलक्टर
(SDO)

जो अधिनियम की धारा 175 का स्पष्ट उल्लघंन है। अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल करते हुए कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी 01 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अतः वकील अप्रार्थी 01 का जवाब बन्द किया जाता है।

वकील अप्रार्थी 02 व 03 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अतः वकील अप्रार्थी 02 व 03 का जवाब बन्द किया जाता है।

पैरोकार सरकार को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 2605/2321 रकबा 04.11 बीघा भूमि में अप्रार्थी बसन्तीदेवी पत्नी जेठानन्द जाति जटिया निवासी कॉ–ओपरेटिव सोसायटी के पास चौहटन रोड जटियों का पुराना वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर जरिये इकरारनामा अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया है। मौके पर चारदीवारी व कमरा मय बिजली कनेक्शन लेकर मौके पर काबिज है, जो कृषि भूमि है जिसे कृषि भूमि से अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में ली है, जो अधिनियम की धारा 175 का स्पष्ट उल्लघंन है। अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल करते हुए कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 2605/2321 रकबा 04.11 बीघा भूमि में वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 बसन्तीदेवी पत्नी जेठानन्द जाति जटिया निवासी कॉ–ओपरेटिव सोसायटी के पास चौहटन रोड जटियों का पुराना वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा प्रार्थी द्वारा ईकरारनामा प्रस्तुत किया गया है वादग्रस्त भूमि 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा बेचान विधि विरूद्ध होता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विधि विरूद्ध बेचान नही किया गया है जो वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार स्पष्ट है। केवल ईकरारनामे के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का कोई विधिक आधार नही होने से प्रकरण खारिज योग्य है। प्रार्थी तहसीलदार अन्य विधि संगत कार्य करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 12/01/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर